

पत्रक्र.—जबल./का./मर्ती/620/भूमि अधिग्रहण

दिनांक 18.04.2023

सर्वसंबंधित
जबलपुर मंडल

विषय:—सतना—रीवा दोहरीकरण रेल लाईन परियोजना के सकरिया एवं बिरहुली ग्राम के भूमि अधिग्रहण के प्रभावितों/आश्रितों की नियुक्ति हेतु जारी अधिसूचना दि: 25.03.2021 को वापस लेने बाबत।


- संदर्भ:— 1. मुख्यालय पमरे,जबलपुर द्वारा जारी दिशा—निर्देश दि: 05.03.2021।
2. इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दि: 25.03.2021।
3. मुख्यालय पमरे,जबलपुर द्वारा जारी पत्र दि: 07.03.2023।

.....0.....

उपरोक्त विषय में सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि सतना—रीवा दोहरीकरण रेल लाईन परियोजना के सकरिया एवं बिरहुली ग्राम के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूस्वामी/आश्रितों से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु दि: 25.03.2021 को अधिसूचना जारी की गयी थी।

उपरोक्त दिशा—निर्देश दिनांक: 05.03.2021 (संदर्भित पत्र क.1) को संदर्भित पत्र क्रमांक 3 द्वारा वापस ले लिया गया है। परिणामस्वरूप दिशा—निर्देश दिनांक: 05.03.2021 वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है।

अतः इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2021 को वापस लिया जाता है।


(सुबोध विश्वकर्मा)

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल,जबलपुर

- प्रति:1.मंडल रेल प्रबंधक,जबलपुर को सादर सूचनार्थ
2.अपर मंडल रेल प्रबंधक(G&C),जबलपुर को सादर सूचनार्थ।
3.उप मुख्य अभियंता(निर्माण)/जबलपुर को सूचनार्थ